

अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 जून, 2017

सं. 1/2017-केंद्रीय कर

सा.का.नि.605(अ).—केन्द्रीय सरकार केंद्रीय माल और सेवाकर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 1 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 22 जून, 2017 को उस तारीख के रूप में नियत करती है, जिसको उक्त अधिनियम की धारा 1, धारा 2, धारा 3, धारा 4, धारा 5, धारा 10, धारा 22, धारा 23, धारा 24, धारा 25, धारा 26, धारा 27, धारा 28, धारा 29, धारा 30, धारा 139, धारा 146 और धारा 164 के उपबंध लागू होंगे।

[फा. सं. 349/72/2017-जीएमटी]

डा. श्रीपार्वती एस.एल., अवर सचिव*

NOTIFICATION

New Delhi, the 19th June, 2017

No. 1/2017 – Central Tax

G.S.R. 605(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 1 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017), the Central Government hereby appoints the 22nd day of June, 2017, as the date on which the provisions of sections 1, 2, 3, 4, 5, 10, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 139, 146 and 164 of the said Act shall come into force.

[F. No. 349/72/2017-GST]

DR. SREEPARVATHY.S.L.Under Secy.